

## कार्यालय- मुख्य शिक्षा अधिकारी, देहरादून।

आदेश : मान्यता(बे0) / 338 / नवीनीकरण / 2024-25 / दिनांक 27 जुलाई, 2024

### नवीनीकरण संशोधन आदेश

इस कार्यालय के आदेश संख्या मान्यता(बे0)/251/नवीनीकरण/ 2024-25 दिनांक 05.07.2024 के द्वारा द्रोणा पब्लिक हाईस्कूल लक्ष्मीपुर, बरोटीवाला, विकासनगर, देहरादून को प्री-प्राईमरी से कक्षा 08 तक दिनांक 01.08.2023 से आगामी 03 वर्षों के लिये औपबन्धिक रूप से नवीनीकृत किया गया था। उक्त आदेश में विद्यालय का नाम द्रोणा पब्लिक स्कूल लक्ष्मीपुर, बरोटीवाला, विकासनगर अंकित हो गया। उक्त आदेश को संशोधित करते हुए विद्यालय का नाम द्रोणा पब्लिक हाईस्कूल, लक्ष्मीपुर चौक बरोटीवाला, विकासनगर किया जाता है। उक्त आदेश की शेष शर्तें यथावत रहेंगी।

(प्रदीप कुमार)

मुख्य शिक्षा अधिकारी  
देहरादून।

पृ0सं0 मान्यता(बे0) / 7660-67 / नवीनीकरण / 2024-25 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. निदेशक माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. मण्डलीय अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
3. जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा0), देहरादून।
4. सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी को इस आशय से कि आर0टी0ई0 नियमावली, 2011 के अनुसार आप विद्यालय निरीक्षकर्ता अधिकारी हैं, अतः अधिनियम एवं नियमावली में दी गयी व्यवस्था के अनुसार विद्यालयों का संचालन कराना सुनिश्चित करें, साथ ही समस्त विद्यालयों से समय-समय पर पूर्ण सूचनाएं विवरण प्राप्त कर पत्रावली में सुरक्षित रखें ताकि आवश्यकता पड़ने पर सूचनाएं आपके माध्यम से प्राप्त की जा सकें और विद्यालयों का सतत निरीक्षण करते रहें।
5. सम्बन्धित प्रबन्धक/व्यवस्थापक/प्रधानाचार्य।

मुख्य शिक्षा अधिकारी  
देहरादून।